

**2019 का विधेयक सं. 17**

**राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) विधेयक, 2019**

**(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)**

राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 को निरसित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान बीज तथा पौध (निरसन) अधिनियम, 2019 है।  
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
  2. 1960 के राजस्थान अधिनियम सं. 23 का निरसन.- राजस्थान बीज तथा पौध अधिनियम, 1960 (1960 का अधिनियम सं. 23) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।
-

(Authorised English Translation)

**THE RAJASTHAN SEEDS AND SEEDLINGS (REPEAL)  
BILL, 2019**  
(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A*

*Bill*

*to repeal the Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960.*

*Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the  
Seventieth Year of the Republic of India, as follows:-*

**1. Short title and commencement.-** (1) This Act may be called the Rajasthan Seeds and Seedlings (Repeal) Act, 2019.

(2) It shall come into force at once.

**2. Repeal of Rajasthan Act No. 23 of 1960.-** The Rajasthan Seeds and Seedlings Act, 1960 (Act No. 23 of 1960) is hereby repealed.

---